न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 87-दो/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-12-1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 112/अपील/1982-83.

बाबुल्ला खॉ पुत्र चांद खॉ
निवासी पोस्ट ऑफिस रोड, डाक बंगला के पीछे गुना
मृतक के वारिसान :-
1-जहर अहमद खॉ पुत्र बाबुल्ला खॉ
2-रईस अहमद खां पुत्र बाबुल्ला खॉ
3-मेहमूदी पुत्री बाबुल्ला खां पत्नी कल्लू खां
निवासीगण निम्बालकर की गोठ नं.2 हुजरात पुल,
लश्कर ग्वालियर
4-मेसूरी पुत्री बाबुल्ला खां पत्नी कल्ला खां
निवासी मामा का बाजार कोतवाली मोहल्ला
लश्कर ग्वालियर
5-इकलास पुत्री बाबुल्ला खां पत्नी मुश्ताक खां
निवासी ग्वालियर लेदर शू फैक्ट्री कालोनी पुराने क्वार्टर मुरार ग्वालियर
6-जमीला पुत्री बाबुल्ला खां पत्नी बशीर खां खान साहब
नई कालोनी बस स्टेण्ड दोराहा सीहोर जिला सीहोर म0प्र0..............आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन जर्ये नजूल विभाग तहसीलदार गुना ....अनावेदक

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-12-1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नजूल द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर कि आवेदक द्वारा गुना कैंट स्थित शासकीय नजूल भूमि सर्वे क्रमांक 198 व 196 में से क्षेत्रफल 869.70 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा किया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार नजूल द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/अ-68/1981-82 दर्ज कर दिनांक 8-10-82 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने एवं 1500/- रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17-1-1983 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-12-1990 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि उक्त भूमि सक्षम युवराज क्लब गुना द्वारा आवेदक को किराये पर दी गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है, इसलिये उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पर मनमाने ढँग से अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वर्ष 1991 से तहसीलदार के अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है । तहसीलदार का आदेश वर्ष 1982 का है, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः इस प्रकरण में

यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को यह निर्देश दिये जायें कि यदि प्रश्नाधीन भूमि पर अभी भी आवेदकगण का कब्जा है, तो पुनः विधिवत् जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार दिये गये उपरोक्त निर्देशों के साथ अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-12-1990 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर